इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेशा राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2022-ज्येष्ठ 10, शक 1944

## वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पांच-(25).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदृद्वारा, राज्य सरकार वाणिज्यिक कर विभाग की ''ई-आबकारी व्यवस्था'' के अंतर्गत आने वाले सभी कम्प्यूटर संसाधनों को ''संरक्षित प्रणाली'' के रूप में अधिसूचित करती है तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा सौंपी गयी भूमिकाओं तथा विशेषाधिकारों के अनुरूप इन संरक्षित प्रणालियों तथा उनकी कार्यात्मकता तक पहुँचने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- 1. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
- 2. अपर आबकारी आयुक्त
- 3. उपायुक्त आबकारी
- 4. संयुक्त संचालक, वित्त, मुख्यालय
- 5. सहायक आबकारी आयुक्त
- 6. जिला आबकारी अधिकारी
- 7. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय
- 8. लेखा अधिकारी, वित्त, मुख्यालय
- 9. सहायक जिला आबकारी अधिकारी
- 10. आबकारी उपनिरीक्षक
- 11. आबकारी विभाग के सहायक ग्रेड-1/ सहायक ग्रेड-2/ सहायक-3
- 12. आबकारी विभाग के आई. टी. ऑपरेटर
- 13. आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

### भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्र. बी-01-16-2021-2-पांच-(25).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. बी-01-16-2021-2-पांच-(25) दिनांक 31 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

#### Bhopal, the 31st May 2022

No. F-B-1-16-2021-2-V (25).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the State Government, hereby, notifies all the Computer resources under the "e-Aabkari System" of the Commercial Taxes Department, Government of Madhya Pradesh, as "Protected Systems" and notifies the following persons to access these "Protected Systems" and their functionalities as per the roles and privileges assigned to them by the Excise Commissioner of Madhya Pradesh, namely:—

- 1. Excise Commissioner, Madhya Pradesh
- 2. Additional Excise Commissioner
- 3. Deputy Excise Commissioner
- 4. Joint Director, Finance of Head Office
- 5. Assistant Excise Commissioner
- 6. District Excise Officer
- 7. System Analyst of Head Office
- 8. Account Officer, Finance of Head Office
- 9. Assistant District Excise Officer
- 10. Excise Sub Inspector
- 11. Assistant Grade-1/Assistant Grade-2/Assistant Grade-3 of Excise Department
- 12. IT Operator of Excise Department.
- 13. Any other person authorized by Excise Commissioner.
- 2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.